ए.

हॉर्टिकल्चर एक्सपीरियंस स्टेशन गोनीकोपाल, कोर्ग

वी.

क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड संगठन (सिविल अपील संख्या)।2136 2012 का)

बी.

23 फरवरी, 2022

[अजय रस्तोगी और अभय एस**.** ओका**,** जे**.** जे**.]**

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952:एसएस।7 ए, 14 बी-हर्जाने की वसूली करने की शक्ति-यदि हर्जाने के अधिरोपण के लिए आवश्यक तत्व है तो पुरुष अधिकार और अधिनियम कारण-अपीलार्थी का प्रतिष्ठान अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा-कर्मचारी भविष्य निधि-ई. पी. एफ. राशि-अवधि के लिए हर्जाने का शुल्क-के भुगतान में देरी हुई-उच्च न्यायालय को चुनौती-उच्च न्यायालय ने कहा कि एक बार योगदान के भुगतान में चूक स्वीकार कर ली जाती है, तो यू/एस को नुकसान होता है।14 बी परिणामी हैं, और नियोक्ता ई. पी. एफ. यू/एस. के योगदान के भुगतान में देरी के लिए हर्जाने का भुगतान करने के लिए बाध्य है।14 बी-आयोजितःअधिनियम के तहत नियोक्ता द्वारा ई. पी. एफ. योगदान के भुगतान में कोई चूक या देरी, यू/एस. के तहत हर्जाने की वसूली के लिए अनिवार्य है।14 बी-नागरिक दायित्व के उल्लंघन के लिए जुर्माना/हर्जाना लगाने के लिए पुरुष अधिकार या अधिनियम एक आवश्यक तत्व नहीं है।

सी.

डी.

ई.

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाःयह अच्छी तरह से तय किया गया है कि नागरिक दायित्वों और देनदारियों के उल्लंघन के लिए जुर्माना या हर्जाना लगाने के लिए मेन्स रिया या एक्टस रेउस एक आवश्यक तत्व नहीं है।इस अधिनियम के तहत नियोक्ता द्वारा ई**.** पी**.** एफ**.** योगदान के भुगतान में कोई भी चूक या देरी अधिनियम **1952** की धारा **14** बी के तहत हर्जाना लगाने के लिए एक अनिवार्य शर्त है और नागरिक दायित्वों/देनदारियों के उल्लंघन के लिए

जुर्माना/हर्जाना लगाने के लिए एक आवश्यक तत्व नहीं है।**[**पैरा **13,17] [496-**डी**; 497-**सी**]**

एफ.

जी.

ऑर्गेनो केमिकल इंडस्ट्रीज एंड अदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया

और अन्य (1979) 4 एस. सी. सी. 573:[1980] 1 एससीआर 61; मैकलियोड

रसेल इंडिया लिमिटेड बनामक्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

(2014) 15 एससीसी 263:[2014] 9 एस. सी. आर. 162; जलपाईगुड़ी और

एच.

485 ए.

अन्य और सहायक भविष्य निधि आयुक्त, ई. पी. एफ. ओ. और एक अन्य बनाम आर. एस. एल. टेक्सटाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का प्रबंधन इसके निदेशक (2017) 3 एस. सी. सी. 110; अध्यक्ष, एस. ई. बी. आई. बनाम श्रीराम म्यूचुअल फंड और एक अन्य (2006) 5 एस. सी. सी.

361 :[2006] 2 पूरक।एस. सी. आर. 833; दिलीप एन. श्रॉफ बनाम संयुक्त

आयकर आयुक्त**,** मुंबई और एक अन्य **(2007) 6**

बी.

एससीसी **329:[2007] 7** एस**.** सी**.** आर**. 499-**संदर्भित।

भारत संघ और अन्य बनाम धर्मेंद्र टेक्सटाइल प्रोसेसर

और अन्य (2008) 13 एस. सी. सी. 369:[2008] 14 एस. सी. आर. 13-पर निर्भर।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम एचएमटी लिमिटेड और

सी.

एक और (2008) 3 एससीसी 35:[2008] 1 एस. सी. आर. 646-एक बाध्यकारी मिसाल नहीं थी।

मामला कानून संदर्भ

[1980] 1 एससीआर **61**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6**

डी.

[2008] 1 एस**.** सी**.** आर**. 646** ने एक बाध्यकारी पैरा **15** पूर्ववर्ती नहीं माना

पैरा **7**

[2014] 9 एससीआर **162**

संदर्भित किया गया है

(2017) 3 एस**.** सी**.** सी **110**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

ई.

[2006] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 833** को संदर्भित किया गया

पैरा **8**

[2007] 7 एससीआर **499**

संदर्भित किया गया है

पैरा **12**

[2008] 14 एससीआर **13**

उस पर भरोसा करें

पैरा **17**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2012 की सिविल अपील सं. 2136।

एफ.

2009 की रिट अपील संख्या 822 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 26.10.2009 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

जी.

2012 की सिविल अपील सं. 2121,2135 और 2141।

प्रवीण स्वरूप, आर. के. सिंह, सुश्री पायल स्वरूप, सुश्री अर्चना शर्मा, के. पी. सिंह, सैयद जाफर हुसैन, सतीश कुमार, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

एच.

487

हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन गोनीकोपल, कॉर्ग बनाम क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड संगठन ए

ए.

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, एस. जी., सुश्री अर्चना पाठक दवे, सुश्री वन्या गुप्ता, अवनीश दवे, सुश्री मनीषा चावा, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

रास्टोगी, जे।

1. तत्काल अपीलें बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित 26 अक्टूबर, 2009 के सामान्य निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं।

बी.

2. कि 3 फरवरी, 2009 के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार करते हुए, यह देखा गया कि एक बार नियोक्ता ई. पी. एफ. के योगदान को जमा करने में विफल रहा है या कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (जिसे इसके बाद "अधिनियम 1952" के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रावधानों के तहत अनिवार्य रूप से चूक कर चुका है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 7 ए के तहत निर्धारण के बाद ऐसा करने में विफल रहा है, नुकसान की वसूली एक अनिवार्य शर्त है और अधिनियम 1952 की धारा 14 बी के तहत शुरू की गई कार्यवाही में नुकसान की वसूली के आदेश को बरकरार रखा गया है।

सी.

डी.

3. अभिलेख से निकाले गए निर्विवाद तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी (ओं) की स्थापना अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत आती है।31 दिसंबर, 1974 को कोड नं.केएन/8573 अनुसूचित शीर्ष "फल उद्यान" के तहत, अपीलार्थी (ओं) 1 जनवरी, 1975 से 31 अक्टूबर, 1988 तक अधिनियम 1952 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे।अधिनियम 1952 के अधिदेश का पालन न करने के लिए, धारा 7 ए के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी और 1 जनवरी, 1975 से 31 अक्टूबर, 1988 की मध्यवर्ती अवधि के लिए ई. पी. एफ. के

योगदान के लिए देय राशि का आकलन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया था और निर्णय के बाद, जिसका भुगतान अपीलार्थी द्वारा ई. पी. एफ. के कार्यालय को किया गया था। इसके बाद, अधिकारियों ने अधिनियम 1952 की धारा 14 बी के तहत भविष्य निधि राशि के विलंबित भुगतान के लिए हर्जाना लेने के लिए एक नोटिस जारी किया, जो जनवरी 1978 से सितंबर 1988 की अवधि के लिए लगाया गया था और अपीलकर्ता (ओं) से Rs.85,548/- के हर्जाने का भुगतान करने का आह्वान किया।विवादित फैसले के तहत उच्च न्यायालय ने कहा कि एक बार योगदान के भुगतान में चूक स्वीकार किए जाने के बाद, अधिनियम 1952 की धारा 14 बी के तहत परिकल्पित नुकसान परिणामी हैं और नियोक्ता अधिनियम 1952 की धारा 14 बी के तहत ई. पी. एफ. के योगदान के भुगतान में देरी के लिए नुकसान का भुगतान करने के लिए बाध्य है, जो वर्तमान अपीलों में चुनौती का विषय है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

4. अधिनियम 1952 किसी भी प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और किसी भी दिन 20 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए एक कानून है और नियोक्ता पर भविष्य निधि के लिए अनिवार्य कटौती करने और ई. पी. एफ. कार्यालय में श्रमिकों के खाते में जमा करने का दायित्व डालता है।इसी तरह का प्रावधान है जो कर्मचारियों को बीमा और पेंशन लाभ प्रदान करने वाले कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (इसके बाद "अधिनियम 1948" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) की धारा 85 बी के तहत नुकसान की वसूली के लिए समान सामग्री है।

बी.

5. अधिनियम, 1952 की धारा 14 बी, जो अधिनियम, 1948 की धारा 85 बी के समान है, को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

“14B. क्षति की वसूली करने की शक्ति।- जहाँ एक नियोक्ता करता है

सी.

निधि, पेंशन निधि या बीमा निधि में किसी योगदान के भुगतान में या धारा 15 की उप-धारा (2) या धारा 17 की उप-धारा (5) के तहत उसके द्वारा हस्तांतरित किए जाने के लिए आवश्यक संचय के हस्तांतरण में या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत या किसी योजना या बीमा योजना के तहत देय किसी भी शुल्क के भुगतान में या धारा 17 के तहत निर्दिष्ट किसी भी शर्त के तहत चूक, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में नियोक्ता से जुर्माने के रूप में ऐसे नुकसान की वसूली कर सकता है, जो बकाया राशि से अधिक नहीं है, जो योजना में निर्दिष्ट किया जा सकता हैः

डी.

ई.

बशर्ते कि इस तरह के नुकसान को वसूलने और वसूलने से पहले, नियोक्ता को सुनवाई का एक उचित अवसर दिया जाएगाः

बशर्ते कि केंद्रीय बोर्ड एक ऐसे प्रतिष्ठान के संबंध में इस धारा के तहत लगाए गए नुकसान को कम या माफ कर सकता है जो एक बीमार औद्योगिक कंपनी है और जिसके संबंध में बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 4 के तहत साबित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा पुनर्वास के लिए एक योजना को मंजूरी दी गई है, जो ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन है जो योजना में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।"

एफ.

जी.

6. जहाँ तक अधिनियम 1952 की धारा 14 बी की संवैधानिक वैधता का संबंध है, इसे इस निर्णय द्वारा बरकरार रखा गया है।

ऑर्गेनो केमिकल इंडस्ट्रीज में न्यायालय और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1.

एच.

1 (1979) 4 एससीसी 573 ए

हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन गोनीकोपल, कॉर्ग बनाम क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

7. अपीलार्थी (ओं) के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी (ओं) द्वारा दिए गए औचित्य, जिसके लिए ई. पी. एफ. का योगदान जमा नहीं किया जा सकता था, प्राधिकरण

द्वारा नहीं देखा गया है और पुरुष अधिकार या अधिनियम का तत्व उन आवश्यक तत्वों में से एक है जिन पर प्राधिकरण द्वारा अधिनियम 1952 की धारा 14 बी के तहत हर्जाना लगाते समय ध्यान नहीं दिया गया है।उसकी प्रस्तुतियों के समर्थन में, अपीलार्थी (ओं) के अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा रखा है

बी.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम एच. एम. टी. लिमिटेड और अन्य **2,** मैकलियोड रसेल इंडिया लिमिटेड बनाम।क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त**,** जलपाईगुड़ी और अन्य **3** और सहायक भविष्य निधि आयुक्त**,** ई. पी. एफ. ओ. और एक अन्य बनाम आर. एस. एल. टेक्सटाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का प्रबंधन इसके निदेशक के माध्यम से।

सी.

8. इसके विपरीत, प्रस्तुतियों के समर्थन में प्रत्यर्थी (ओं) के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नागरिक दायित्वों या देनदारियों के उल्लंघन और केवल अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन या नागरिक देनदारियों के संबंध में कानून के जनादेश का अनुपालन करने में चूक के लिए जुर्माना लगाने के लिए पुरुष कारण एक आवश्यक तत्व नहीं है, अधिनियम 1952 की धारा 14 बी के तहत तत्काल मामले में नुकसान जैसे नुकसान को लागू करते समय, पुरुष कारण या अधिनियम कारण पर विचार करने की कानून की आवश्यकता नहीं है।प्रस्तुतियों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने इस पर भरोसा रखा है

डी.

अध्यक्ष, एस. ई. बी. आई. बनाम श्रीराम म्यूचुअल में दो-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय

कोष और अन्य **5** जिन पर तीन**-**न्यायाधीशों की पीठ ने भरोसा किया है

ई.

भारत संघ और अन्य बनाम धर्मेंद्र टेक्सटाइल प्रोसेसर और अन्य मामलों में इस न्यायालय का निर्णय।

9. तत्काल अपीलों में हमारे विचार के लिए जो प्रश्न उभरता है वह यह है कि अधिनियम 1952 की धारा 14 बी का प्रभाव और कार्यान्वयन क्या होगा और क्या नियोक्ता द्वारा किए गए नागरिक दायित्वों या देनदारियों का उल्लंघन जुर्माना/हर्जाना लगाने के लिए एक अनिवार्य शर्त है या पुरुष कारण या अधिनियम कारण का तत्व आवश्यक तत्वों में से एक है जिसकी भूमिका निभानी है और प्राधिकरण अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत हर्जाना लगाने वाले आदेश को पारित करते समय दिए गए औचित्य, यदि कोई हो, की जांच करने के लिए बाध्य है।

एफ.

जी.

2 (2008) 3 एस. सी. सी. 35 3 (2014) 15 एस. सी. सी. 263 4 (2017) 3 एस. सी. सी. 110 5 (2006) 5 एस. सी. सी. 361 6 (2008) 13 एस. सी. सी. 369

एच.

10. निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी (ओं) की स्थापना अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत की गई थी, लेकिन फिर भी इसका पालन करने में विफल रही और अधिनियम 1952 के अधिदेश का ऐसा गैर-अनुपालन करने के लिए, शुरू में धारा 7 ए के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी और ई. पी. एफ. के योगदान के संदर्भ में निर्णय लेने के बाद, जो अपीलार्थी भुगतान करने के लिए बाध्य था और अधिनियम 1952 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए, अपीलार्थी (ओं) ने वास्तव में नागरिक दायित्वों/देनदारियों का उल्लंघन किया और अधिनियम 1952 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद और जनवरी 1975 से अक्टूबर 1988 की अवधि के लिए ई. पी. एफ. योगदान के विलंबित भुगतान के लिए, जैसा कि विचार किया गया था, सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, आदेश पारित किया गया था।

बी.

सी.

11. इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ, अध्यक्ष, एस. ई. बी. आई. (उपरोक्त) ने म्यूचुअल फंडों के मामले में कुछ चूक के लिए जुर्माना लगाने के संबंध में एस. ई. बी. आई. (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 की धारा 15-डी के दायरे और दायरे की जांच करते हुए इस सवाल की जांच की कि क्या नागरिक दायित्वों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने के लिए पुरुष अधिकार एक आवश्यक तत्व है और इस न्यायालय के बाध्यकारी उदाहरण पर ध्यान देते हुए कहा कि नागरिक दायित्वों या देनदारियों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने के लिए पुरुष अधिकार एक आवश्यक तत्व नहीं है।निर्णय के प्रासंगिक पैरा 33 और 35 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

डी.

ई.

“33. इस न्यायालय ने निर्णयों के एक समूह में यह अभिनिर्धारित किया है कि नागरिक दायित्वों के उल्लंघन के लिए दंड लगाने के लिए पुरुष अधिकार एक आवश्यक तत्व नहीं हैः

एफ.

“8. इस प्रकार यह एक 'नागरिक दायित्व' का उल्लंघन है जो धारा 23 (1) (ए), एफ. ई. आर. ए., 1947 के तहत 'दंड' को आकर्षित करता है और यह निष्कर्ष निकालता है कि अपराधी ने धारा 10, एफ. ई. आर. ए., 1947 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है जो तुरंत धारा 23 के तहत 'जुर्माना' लगाने को आकर्षित करेगा, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि उल्लंघन चूककर्ता द्वारा किसी 'दोषी इरादे' के साथ किया गया था या नहीं।इसलिए, एक आपराधिक मामले के विपरीत, जहां 'अभियोजन' के लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि 'अभियुक्त' का कथित अपराध करने के लिए आवश्यक दोषी इरादा था या दूसरे शब्दों में आवश्यक 'पुरुष कारण' था, जिसके साथ उस पर आरोप लगाया जाता है।

जी.

एच.

491

हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन गोनीकोपल, कॉर्ग बनाम क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

दोषसिद्धिएदोषसिद्धिफदोषसिद्धि.दोषसिद्धि दोषसिद्धिईदोषसिद्धि.दोषसिद्धि
दोषसिद्धिआदोषसिद्धिरदोषसिद्धि.दोषसिद्धि दोषसिद्धिएदोषसिद्धि.दोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धीदोषसिद्धि दोषसिद्धिधदोषसिद्धिादोषसिद्धिरदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धि1 दोषसिद्धि0 दोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिपदोषसिद्धि्दोषसिद्धिरदोषसिद्धिादोषसिद्धिवदोषसिद्धिधदोषसिद्धिादोषसिद्धिनदोष
सिद्धिोदोषसिद्धिंदोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिउदोषसिद्धिलदोषसिद्धि्दोषसिद्धिलदोषसिद्धिंदोषसिद्धिघदोषसिद्धिनदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिमदोषसिद्धिादोषसिद्धिमदोषसिद्धिलदोषसिद्धिोदोषसिद्धिंदोषसिद्धि
दोषसिद्धिमदोषसिद्धैदोषसिद्धिंदोषसिद्धि
दोषसिद्धिपदोषसिद्धि्दोषसिद्धिरदोषसिद्धिवदोषसिद्धिरदोषसिद्धि्दोषसिद्धितदोषसिद्धिनदो
षसिद्धि
दोषसिद्धिनदोषसिद्धिदोषसिद्धिददोषसिद्धैदोषसिद्धिशदोषसिद्धिादोषसिद्धिलदोषसिद्धियदोष
सिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धीदोषसिद्धि दोषसिद्धिओदोषसिद्धिरदोषसिद्धि
दोषसिद्धिसदोषसिद्धैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिददोषसिद्धिादोषसिद्धियदोषसिद्धिदोषसिद्धितदोषसिद्धि्दोषसिद्धिवदोषसिद्धि

दोषसिद्धिकदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिनदोषसिर्द्धिदोषसिद्धिरदोषसिद्धि्दोषसिद्धिवदोषसिद्धिहदोषसिद्धिनदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिर्द्धिदोषसिद्धियदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिजदोषसिद्धिादोषसिद्धिएदोषसिद्धिगदोषसिद्धिादोषसिद्धि,दोषसिद्धि
दोषसिद्धिजदोषसिद्धिहदोषसिद्धिादोषसिद्धिंदोषसिद्धि दोषसिद्धियदोषसिद्धिहदोषसिद्धि
दोषसिद्धिददोषसिर्द्धिदोषसिद्धिखदोषसिद्धिादोषसिद्धियदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिगदोषसिद्धियदोषसिद्धिादोषसिद्धि दोषसिद्धिहदोषसिद्धैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिर्द्धिदोषसिद्धि
दोषसिद्धिअदोषसिद्धिपदोषसिद्धिरदोषसिद्धिादोषसिद्धिधदोषसिद्धीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धि'दोषसिद्धिनदोषसिर्द्धिदोषसिद्धिंदोषसिद्धिददोषसिद्धिनदोषसिद्धीदोषसिद्धियदोष
सिद्धि दोषसिद्धिआदोषसिद्धिचदोषसिद्धिरदोषसिद्धिणदोषसिद्धि'दोषसिद्धि
दोषसिद्धिउदोषसिद्धिसदोषसिद्धिकदोषसिद्धैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिददोषसिद्धि्दोषसिद्धिवदोषसिद्धिादोषसिद्धिरदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिधदोषसिद्धिादोषसिद्धिरदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धि1 दोषसिद्धि0 दोषसिद्धि,दोषसिद्धि दोषसिद्धिएदोषसिद्धिफदोषसिद्धि.दोषसिद्धि
दोषसिद्धिईदोषसिद्धि.दोषसिद्धि दोषसिद्धिआदोषसिद्धिरदोषसिद्धि.दोषसिद्धि
दोषसिद्धिएदोषसिद्धि.दोषसिद्धि,दोषसिद्धि
दोषसिद्धि1 दोषसिद्धि9 दोषसिद्धि4 दोषसिद्धि7 दोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिपदोषसिद्धि्दोषसिद्धिरदोषसिद्धिादोषसिद्धिवदोषसिद्धिधदोषसिद्धिादोषसिद्धिनदोष
सिद्धिोदोषसिद्धिंदोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिजदोषसिद्धिादोषसिद्धिनदोषसिद्धिबदोषसिद्धि्धूदोषसिद्धिझदोषसिद्धिकदोषसिद्धिरदो
षसिद्धि
दोषसिद्धिउदोषसिद्धिलदोषसिद्धि्दोषसिद्धिलदोषसिद्धिंदोषसिद्धिघदोषसिद्धिनदोषसिद्धि
दोषसिद्धिददोषसिद्धि्दोषसिद्धिवदोषसिद्धिादोषसिद्धिरदोषसिद्धिादोषसिद्धि
साबितदोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिर्द्धिदोषसिद्धियदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिगदोषसिद्धियदोषसिद्धिादोषसिद्धि दोषसिद्धिथदोषसिद्धिादोषसिद्धि।दोषसिद्धियह चूककर्ता का ही अपराध है जो उसके 'दोषपूर्ण' आचरण को स्थापित करता है, जो 'मेन्स रिया' के अस्तित्व के किसी भी और प्रमाण के बिना एफ. ई. आर. ए., 1947 की धारा 23 (1) (ए) के प्रावधानों को आकर्षित करता है।एफ. ई. आर. ए., 1947 की धारा 23 (1) (ए) के तहत अधिकारियों द्वारा निर्णय लेने और जुर्माना लगाने के बाद भी, चूककर्ता पर दंडात्मक कानून के तहत अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे दंडित किया जा सकता है।

बी.

सी.

***

12. कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम, वॉल्यूम। 85, पृ.580, पैरा 1023,

यह इस प्रकार कहा गया है:'कर अपराध के लिए लगाया गया जुर्माना एक नागरिक दायित्व है, जो अपनी प्रकृति में उपचारात्मक और जबरदस्त है, और किसी अपराध के लिए दंड या आपराधिक या दंडात्मक कानूनों के उल्लंघन के लिए सजा के रूप में प्रदान किए गए जुर्माने या ज़ब्त से बहुत अलग है।'

डी.

13. हम उपरोक्त दृष्टिकोण से सहमत हैं और हमारी राय में, जो 'कर अपराध' पर लागू होता है, वह एफ. ई. आर. ए., 1947 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 'निंदनीय' आचरण के लिए समान रूप से अच्छा है।इसलिए, हम मानते हैं कि पुरुष अधिकार (जैसा कि आपराधिक कानून में समझा जाता है) एफ. ई. आर. ए., 1947 की धारा 10 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एफ. ई. आर. ए., 1947 की धारा 23 (1) (ए) के तहत दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी अपराधी को पकड़ने के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है और यह दंड धारा 23 (1) (ए) के तहत लिया जाता है जैसे ही धारा 10 (1) (ए) द्वारा प्रतिबिंबित वैधानिक दायित्व का उल्लंघन साबित होता है।उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अधिनियम के तहत 'दोषपूर्ण आचरण' को 'आपराधिक अपराध' के समतुल्य मानने में गलती की, इस स्थिति की अनदेखी करते हुए कि न्यायिक कार्यवाही में 'दोषपूर्ण आचरण' केवल अधिनियम के तहत एक नागरिक दायित्व के उल्लंघन के सबूत द्वारा साबित किया जाता है, जिसके लिए चूककर्ता अधिनियम की धारा 23 (1) (ए) के तहत लगाए गए दंड का भुगतान करके संशोधन करने के लिए बाध्य है, इस तथ्य के बावजूद कि उसने किसी भी दोषी इरादे के साथ या उसके बिना उल्लंघन किया है।"

ई.

एफ.

जी.

एच.

(मूल में जोर)

(ख**)** जे**.** के**.** इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनामकारखानाक मुख्य निरीक्षक आ

“42. अधिनियम के तहत अपराध सामान्य दंडात्मक कानून का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन एक विशेष लाभकारी सामाजिक रक्षा कानून में प्रदान किए गए कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होते हैं, जो किसी भी पुरुष कारण के प्रमाण के बिना पूर्ण या सख्त दायित्व पैदा करता है।अपराध सख्त वैधानिक अपराध हैं जिनके लिए पुरुष अधिकार की स्थापना एक आवश्यक घटक नहीं है।वैधानिक उल्लंघन को छोड़ना या करना ही अपराध है।भारत और विदेशों में आर्थिक अपराधों के साथ-साथ उद्योग, खाद्य मिलावट, प्रदूषण की रोकथाम आदि से संबंधित कई कानूनों में सख्त दायित्व के सिद्धांत पर आधारित इसी तरह के अपराध मौजूद हैं, जिसका अर्थ है दोषरहित दायित्व या पुरुष अधिकार।‘'पूर्ण अपराध' किसी भी वास्तविक अर्थ में आपराधिक अपराध नहीं हैं, बल्कि ऐसे कार्य हैं जो जनता के कल्याण के हित में निषिद्ध हैं और निषेध दंड की मंजूरी द्वारा समर्थित है।”

बी.

सी.

डी.

(ग) आर**.** एस**.** जोशी बनाम अजीत मिल्स लिमिटेड। **(1977) 4** एससीसी **98**

“यहां भी हम इस धारणा को अस्वीकार कर सकते हैं कि दंड या सजा को पूर्ण या बिना किसी दोष के दायित्व के रूप में नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इससे पहले पुरुष अधिकार होना चाहिए।शास्त्रीय दृष्टिकोण कि 'कोई पुरुष अधिकार नहीं, कोई अपराध नहीं' बहुत पहले समाप्त हो गया है और भारत और विदेशों में कई कानूनों, विशेष रूप से आर्थिक अपराधों और विभागीय दंड के संबंध में, गंभीर दंड का निर्माण किया है, यहां तक कि जहां अपराधों को पुरुष अधिकार को बाहर करने के लिए परिभाषित किया गया है।इसलिए, यह तर्क कि धारा 37 (1) दोष की परवाह किए बिना भारी दायित्व को बढ़ाती है, दंड के स्वरूप को जब्त करने से वंचित करने में कोई बल नहीं है।”

ई.

एफ.

(घ) गुजरात त्रावणकोर एजेंसी बनाम सी**.** आई**.** टी**. (1989) 3** एस**.** सी**.** सी**. 52**

“हमारे लिए धारा 271 (1) (ए) का उल्लेख करना पर्याप्त है, जिसमें प्रावधान है कि जुर्माना लगाया जा सकता है यदि आयकर अधिकारी संतुष्ट है कि कोई व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के कुल आय की विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहा है, और धारा 276-सी में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर धारा 139 (1) के तहत आवश्यक आय की विवरणी नियत समय में प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह कठोर कारावास से दंडनीय होगा जो एक वर्ष तक बढ़ सकता है या जुर्माने से दंडनीय होगा।यह स्पष्ट है कि पहले वाले

मामले में जो इरादा है वह एक नागरिक दायित्व है जबकि बाद वाले मामले में जो लगाया जाता है वह एक आपराधिक सजा है।

जी.

एच.

493

हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन गोनीकोपल, कॉर्ग बनाम क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

ए.

इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि धारा 276-सी के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जो चूककर्ता की ओर से जानबूझकर विफलता की बात करता है और दंड की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जो दंडात्मक है, उस प्रावधान के तहत कोई सजा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि पुरुष अधिकार का तत्व साबित न हो जाए।आपराधिक दायित्व के अधिकांश मामलों में, विधायिका का इरादा यह है कि जुर्माना एक निवारक के रूप में काम करना चाहिए।कानून द्वारा अपराध का निर्माण इस धारणा पर आगे बढ़ता है कि चूककर्ता के कार्य या चूक से समाज को नुकसान होता है और अपराध की पुनरावृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए एक निवारक लगाया जाना चाहिए।धारा 271 (1) (ए) के तहत कार्यवाही के मामले में, हालांकि, ऐसा लगता है कि विधायिका का इरादा राजस्व के नुकसान के तथ्य पर जोर देना और इस तरह के नुकसान के लिए एक उपाय प्रदान करना है, हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दंड में जबरदस्ती का एक तत्व मौजूद है।इस संबंध में जिन शर्तों में जुर्माना मापा जाता है, वे महत्वपूर्ण हैं।जब तक कि क़ानून की भाषा में कुछ ऐसा नहीं है जो मानव अधिकार के तत्व को स्थापित करने की आवश्यकता का संकेत देता है, यह आम तौर पर यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि क़ानून का पालन करने में चूक हुई है।हमारी राय में, धारा 271 (1) (ए) में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आवश्यक हो कि उस प्रावधान के तहत जुर्माना लगाने से पहले पुरुष अधिकार साबित किया जाना चाहिए।"

बी.

सी.

डी.

(ई**)** स्वीडिश मैच एबी बनाम एस**.** ई**.** बी**.** आई**. (2004) 11** एस**.** सी**.** सी**. 641**

ई.

"अधिनियम की धारा 15-एच के प्रावधानों में कहा गया है कि पच्चीस करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।बोर्ड के पास इस मामले में कोई विवेकाधिकार नहीं है और इस

प्रकार, निर्णय की कार्यवाही केवल एक औपचारिकता है।इस प्रकार, अपीलार्थी पर दंड अधिरोपित करना एक क्षमा किया हुआ निष्कर्ष होगा।केवल अपीलार्थीगण के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही में, अपीलार्थीगण की ओर से पुरुष अधिकार के अस्तित्व पर विचार किया जाएगा।"

एफ.

(च) एस**.** ई**.** बी**.** आई**.** बनाम कैबोट इंटरनेशनल कैपिटल कार्पोरेशन।**(2005) 123**

कम्प कैस **841 (**बम**)**

"47. इस प्रकार, निम्नलिखित निकाले गए सिद्धांतों का सारांश दिया गया है:(ए) आपराधिक अपराध के लिए पुरुष अधिकार एक आवश्यक या अनिवार्य है।

जी.

(बी) मेन्स रिया के एक स्ट्रेटजैकेट सूत्र का प्रत्येक मामले में आंख मूंदकर पालन नहीं किया जा सकता है।किसी विशेष क़ानून की योजना को किसी दिए गए मामले में कमजोर किया जा सकता है।

एच.

(ग) यदि, कानून में उपयोग की गई योजना, उद्देश्य और शब्दों से, यह प्रतीत होता है कि दंड लगाने की कार्यवाही न्यायिक प्रकृति की है, जो आपराधिक या अर्ध-आपराधिक कार्यवाही के विपरीत है, तो निर्धारण अपराधी द्वारा नागरिक दायित्व का उल्लंघन है।'दंड' शब्द अपने आप में कार्यवाही की प्रकृति को आपराधिक या अर्ध-आपराधिक होने का निष्कर्ष निकालने के लिए निर्धारक नहीं होगा।संबंधित विचार प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रकृति और उल्लंघनकर्ता और अपराध के दायित्व का निर्धारण है।

बी.

((घ) नागरिक दायित्वों या देनदारियों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने के लिए पुरुष अधिकार आवश्यक तत्व नहीं है।

सी.

(ई) एक ही अधिनियम के तहत दो अलग-अलग देनदारियां हो सकती हैं, दीवानी और आपराधिक।

***

डी.

52. एस. ई. बी. आई. अधिनियम और विनियम, प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के लिए हैं और संबंधित पहलुओं, जुर्माना लगाने, मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, 'कोई पुरुष कारण नहीं, कोई जुर्माना नहीं' के आधार पर परीक्षण नहीं किया जा सकता है।हमारे अनुसार, एस. ई. बी. आई. अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए, जो नागरिक प्रकृति के हैं, पुरुष अधिकार आवश्यक नहीं है।मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों पर, न्यायिक विवेक का उचित प्रयोग आवश्यक है, लेकिन इस आधार पर नहीं कि एस. ई. बी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के प्रत्येक उल्लंघन में जुर्माना लगाने के लिए पुरुष कारण आवश्यक है।

ई.

***

एफ.

54. तथापि, हम दंड अधिरोपित करने के लिए पुरुष अधिकार की आवश्यकता के संबंध में दिए गए तर्क के संबंध में अपीलीय प्राधिकरण से सहमत नहीं हैं।हमारे अनुसार, एस. ई. बी. आई. अधिनियम और विनियमों के तहत नागरिक दंड लगाने के लिए पुरुष अधिकार आवश्यक नहीं है।"

जी.

(मूल में जोर) 35।साबितहसाबितमसाबितासाबितरसाबितीसाबित
साबितससाबितुसाबितवसाबितिसाबितचसाबितासाबितरसाबितिसाबिततसाबित
साबितरसाबितासाबितयसाबित साबितमसाबितेसाबितंसाबित,साबित
साबितअसाबितधसाबितिसाबितनसाबितिसाबितयसाबितमसाबित साबितऔसाबितरसाबित
साबितवसाबितिसाबितनसाबितिसाबितयसाबितमसाबितोसाबितंसाबित
साबितदसाबित्साबितवसाबितासाबितरसाबितासाबित
साबितवसाबितिसाबितचसाबितासाबितरसाबित साबितकसाबितिसाबितएसाबित
साबितगसाबितएसाबित साबितवसाबितैसाबितधसाबितासाबितनसाबितिसाबितकसाबित
साबितदसाबितासाबितयसाबितिसाबिततसाबित्साबितवसाबित साबितकसाबितासाबित
साबितउसाबितलसाबित्साबितलसाबितंसाबितघसाबितनसाबित
साबितहसाबितोसाबिततसाबितेसाबित साबितहसाबितीसाबित
साबितजसाबितुसाबितरसाबित्साबितमसाबितासाबितनसाबितासाबित

साबितलसाबितगसाबितासाबितयसाबितासाबित साबितजसाबितासाबिततसाबितासाबित
साबितहसाबितैसाबित साबितऔसाबितरसाबित
साबितइसाबितससाबितलसाबितिसाबितएसाबित साबितइसाबितससाबित
साबिततसाबितरसाबितहसाबित साबितकसाबितासाबित
साबितउसाबितलसाबित्साबितलसाबितंसाबितघसाबितनसाबित
साबितकसाबितरसाबितनसाबितेसाबित साबितवसाबितासाबितलसाबितेसाबित
साबितपसाबितकसाबित्साबितषसाबितोसाबितंसाबित साबितकसाबितासाबित
साबितइसाबितरसाबितासाबितदसाबितासाबित साबितपसाबितूसाबितरसाबितीसाबित
साबिततसाबितरसाबितहसाबित साबितससाबितेसाबित
साबितअसाबितपसाबित्साबितरसाबितासाबितससाबितंसाबितगसाबितिसाबितकसाबित
साबितहसाबितोसाबित साबितजसाबितासाबिततसाबितासाबित साबितहसाबितैसाबित।
साबित

एच.

495

हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन गोनीकोपल, कॉर्ग बनाम क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

ए.

नागरिक दायित्व का उल्लंघन जो अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के तहत जुर्माने की प्रकृति में दंड को आकर्षित करता है, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि उल्लंघनकर्ता द्वारा दोषी इरादे से किया जाना चाहिए या नहीं, तुरंत जुर्माना लगाया जाएगा।हमने आगे यह भी माना कि जब तक कानून की भाषा पुरुषों की उपस्थिति स्थापित करने की आवश्यकता का संकेत नहीं देती है, तब तक यह पता लगाना पूरी तरह से अनावश्यक है कि क्या ऐसा उल्लंघन जानबूझकर किया गया था या नहीं।अधिनियम की धारा 15-डी (बी) और धारा 15-ई के सावधानीपूर्वक अवलोकन पर, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए इन प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाने से पहले पुरुष कारण साबित करने की आवश्यकता हो।इसलिए एक बार उल्लंघन साबित हो जाने के बाद दंड का पालन करना होता है।"

बी.

सी.

[जोर दिया गया]12. भारत संघ बनाम मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ।

धर्मेंद्र टेक्सटाइल प्रोसेसर और अन्य (ऊपर) जांच करते हुए

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 (1) (सी) के दायरे और दायरे में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां तक प्रावधानों के तहत लगाए गए दंड का संबंध नागरिक दायित्व से है, तो नागरिक दंड लगाने के लिए पुरुष अधिकार या अधिनियम एक आवश्यक तत्व नहीं है और दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को खारिज कर दिया।

डी.

दिलीप एन. श्रॉफ बनाम संयुक्त आयकर आयुक्त, मुंबई

और अन्य 7 ने इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अध्यक्ष, एस. ई. बी. आई. (उपर्युक्त) में व्यक्त किए गए विचार को मंजूरी दी और पैरा 18 और 20 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

ई.

“18. आई. टी. अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) से जुड़े स्पष्टीकरण पूरी तरह से निर्धारिती पर विवरणी दाखिल करते समय छिपाने या गलत विवरण देने के लिए सख्त दायित्व के तत्व को इंगित करते हैं।दिलीप एन. श्रॉफ मामले [(2007) 6 एस. सी. सी. 329] के फैसले में आई. टी. अधिनियम की धारा 276-सी के प्रभाव और प्रासंगिकता पर विचार नहीं किया गया है। स्पष्टीकरण के साथ पठित धारा 271 (1) (सी) के अधिनियमन के पीछे का उद्देश्य इंगित करता है कि उक्त धारा को राजस्व के नुकसान के लिए एक उपाय प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है।उस प्रावधान के तहत जुर्माना एक नागरिक दायित्व है।जानबूझकर छिपाना नागरिक दायित्व को आकर्षित करने के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है जैसा कि आई. टी. अधिनियम की धारा 276-सी के तहत अभियोजन के मामले में है।

एफ.

जी.

20. स्थिति के ऊपर**,** यह दलील कि नियम **96-**जेडक्यू और **96-**जेडओ में अंतर्निहित विवेक की अवधारणा है**,** को कायम नहीं रखा जा सकता है।दिलीप

7 (2007) 6 एस. सी. सी. 329

एच.

श्रॉफ मामला [(2007) 6 एस. सी. सी. 329] सही ढंग से तय नहीं किया गया था लेकिन एस. ई. बी. आई. मामला [(2006) 5 एस. सी. सी. 361] ने सही परिप्रेक्ष्य में कानूनी स्थिति का विश्लेषण किया है।संदर्भ का जवाब दिया जाता है।जहां तक नियम 967-क्यू (5) के अधिकारों को चुनौती देने के मामलों का संबंध है, केवल ऊपर बताए गए मामलों के आलोक में मामले से निपटने के लिए मामले को अब खंड पीठ के समक्ष रखा जाएगा।अन्य सभी मामलों में, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और वर्तमान निर्णयों के आलोक में मामले को निपटाने के लिए उसे भेज दिया जाता है।सिविल अपील संख्या 2003 की 3397 और 4096,2004 की 4096,2006 की 3388 और 5277,2007 की 4316,4317,675 और 1420 और 2007 की एसएलपी (सी) संख्या 21751 से संबंधित अपीलों को छोड़कर अपीलों की अनुमति दी जाती है और अपवादात्मक अपीलों को अब निपटान के लिए खंड पीठ के समक्ष रखा जाएगा।”

बी.

सी.

13. इस विषय पर कानून की व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि नागरिक दायित्वों और देनदारियों के उल्लंघन के लिए जुर्माना या हर्जाना लगाने के लिए मेनस रिया या एक्टस रेउस एक आवश्यक तत्व नहीं है।14. निर्णय जिस पर अपीलार्थी (ओं) के लिए विद्वान अधिवक्ता

डी.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ऊपर) पर निर्भरता रखी है,

डिवीजन बेंच ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948 की धारा 85 बी के दायरे और दायरे की जांच करते हुए, जो कि अधिनियम 1952 की धारा 14 बी के समान है, दिलीप एन. श्रॉफ (ऊपर) में इस अदालत की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा रखते हुए, तय किए गए न्यायिक बाध्यकारी उदाहरण की अज्ञानता में, जिसमें एक विस्तृत संदर्भ दिया गया है, यह अभिनिर्धारित किया कि नागरिक दायित्वों/देनदारियों के उल्लंघन के लिए, नुकसान और/या उसकी मात्रा के उद्ग्रहण के लिए पुरुष अधिकार या अधिनियम का अस्तित्व एक आवश्यक घटक है।

ई.

एफ.

15. यह ध्यान दिया जा सकता है कि दिलीप एन. श्रॉफ (उपरोक्त) जिस पर निर्भरता रखी गई थी, उसे भारत संघ में इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है और

अन्य बनाम धर्मेंद्र टेक्सटाइल प्रोसेसर और अन्य (ऊपर)।के लिए

उपरोक्त कारणों से, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण इस विषय पर बाध्यकारी पूर्ववर्ती नहीं हो सकता है और अपीलार्थी (ओं) को कोई सहायता नहीं हो सकती है।

जी.

16. अपीलार्थी (ओं) के विद्वान अधिवक्ता ने आगे मैकलियोड रसेल इंडिया लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा, जिसमें विचार के लिए सवाल सामने आया कि क्या अधिनियम 1952 ए की धारा 14 बी के तहत जो नुकसान लगाया गया है, वह है या नहीं।

एच.

497

हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन गोनीकोपल, कॉर्ग बनाम क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन [अजय रस्तोगी, जे.]

पूर्ववर्ती के साथ-साथ वर्तमान प्रबंधनों से संयुक्त रूप से या अलग-अलग रूप से वसूली योग्य होगी।उसी समय, निर्णय में भरोसा किया गया था

सहायक भविष्य निधि आयुक्त, ई. पी. एफ. ओ. और एक अन्य (ऊपर)

मैकलियोड रसेल इंडिया लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखने का निर्णय लिया गया था, जो अपीलार्थी (ओं) के लिए किसी भी सहायता का नहीं हो सकता है।

बी.

17. इस न्यायालय के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर ध्यान देते हुए

भारत संघ और अन्य बनाम धर्मेंद्र टेक्सटाइल प्रोसेसर और

अन्य (ऊपर), जो वास्तव में हमारे लिए बाध्यकारी है, हमारा विचार है कि अधिनियम के तहत नियोक्ता द्वारा ई. पी. एफ. योगदान के भुगतान में कोई भी चूक या देरी अधिनियम 1952 की धारा 14 बी के तहत हर्जाना लगाने के लिए एक अनिवार्य शर्त है और नागरिक दायित्वों/देनदारियों के उल्लंघन के लिए जुर्माना/हर्जाना लगाने के लिए एक आवश्यक तत्व नहीं है।

सी.

18. हम अपीलों में कोई सार नहीं पाते हैं और तदनुसार उन्हें खारिज कर दिया जाता है।

डी.

19. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

निधि जैन और अमरेंद्र कुमार

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

(सहायकः पूजा मिश्रा, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.